प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ :: दिनांक 29-05-2025**

विषय: जनपद कुशीनगर में सिंचाई खण्ड-2 देवरिया के अन्तर्गत निचली देवरिया शाखा के कि0मी0 58.600 एवं 70.200 पर स्थित क्रास रेगुलेटर के पुनरोद्धार की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-210/1191/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 08.05.2025 के वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव एवं शासनादेश संख्या-479/2023/395पी/23-27-सिं०-4-/001-167-डब्ल्यू-परि०-2023, दिनांक 25.09.2023 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि " जनपद कुशीनगर में सिंचाई खण्ड-2 देवरिया के अन्तर्गत निचली देवरिया शाखा के कि0मी0 58.600 एवं 70.200 पर स्थित क्रास रेगुलेटर के पुनरोद्धार की परियोजना " हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)- लेखाशीर्षक-4700-36-051-10-14-24 के अन्तर्गत उक्त परियोजना हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रू० 28.32 लाख में से धनराशि रू० 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) को उक्त चलित परियोजना के कार्य पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय करने हेतु अवमुक्त किये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. विषयांकित परियोजना की उक्त वित्तीलय स्वीकृति के क्रम में धनावंटन /व्यय की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत परियोजना / मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों/ निर्धारित शर्तों व प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन हुआ है । उक्त परियोजना हेतु धनराशि सुसंगत व अद्यावधिक शासनादेशों/ नियमों/ वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवमुक्त की जाए तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय पर पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
3. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व विभाग के संबंधित अधिकारियों का होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4700360511014 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव ।

संख्या-191(1)/2025/187P/25-27-सिं0-4-001-167-W-Pari-2023-CN-1743842, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1(पूर्व)/मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० गोरखपुर ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया, उ०प्र०।
9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/ नियोजन अनुभाग-3/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
11- नोडल अधिकारी/अनुसचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जगराम यादव
उप सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।